



कार्यालय रक्षा लेखा प्रधान नियंत्रक (मध्य कमान), 1 करियप्पा मार्ग, लखनऊ छावनी-226002
Office of the Principal Controller of Defence Accounts (Central Command)
1, Cariappa Road, Lucknow Cantt - 226002

सं. : सं. एवं प./2927/क्षे.प्र.के./2018-19

दिनांक: 02/04/2018

सेवा में

प्रभारी अधिकारी,

- (1) वे.ले.का.(अ.श्रे.) आर आर सी फतेहगढ़
- (2) वे.ले.का.(अ.श्रे.)डी आर सी फैजाबाद
- (3) वे.ले.का.(अ.श्रे.) सै. चि. द. लखनऊ
- (4) वे.ले.का.(अ.श्रे.) 39 जी टी सी वाराणसी
- (5) वे.ले.का.(अ.श्रे.) एस एल आई फतेहगढ़
- (6) स्था. ले. प. का.(भं) सी ओ डी छिवकी इलाहाबाद
- (7) संबंधित अनुभाग, मुख्य कार्यालय लखनऊ

विषय : क्षे. प्र. के. लखनऊ प्रशिक्षण: सेवानिवृत्त होने वाले अधिकारियों/कर्मचारियों के लिए पाठ्यक्रम ।

निम्नलिखित अधिकारियों/कर्मचारियों को नीचे दिए गए व्यौरे के अनुसार दिनांक 05/04/2018 एवं 06/04/2018 को क्षेत्रीय प्रशिक्षण केंद्र, लखनऊ में उपरोक्त विषय पर प्रशिक्षण में भाग लेने के लिए सक्षम प्राधिकारी द्वारा नामित किया गया है:

क्र.सं	नाम (श्री/श्रीमति)	लेखा सं.	पदनाम	कार्यालय
1	आर.जी.कुशवाहा	8326416	व. ले. प.	स्था. ले. प. का.(भं) सी ओ डी छिवकी इलाहाबाद
2	मोहन लाल	8341665	MTS Washboy	वे.ले.का.(अ.श्रे.) आर आर सी फतेहगढ़
3	राम मूर्ति प्रसाद	8330707	MTS	वे.ले.का.(अ.श्रे.)डी आर सी फैजाबाद
4	राम अवध सिंह	8335716	MTS	वे.ले.का.(अ.श्रे.) सै. चि. द. लखनऊ
5	स्वामी नाथ	8320093	व. ले. अ.	वे.ले.का.(अ.श्रे.) 39 जी टी सी वाराणसी
6	शाहिद नूर	8316012	व. ले. प.	मुख्य कार्यालय लखनऊ
7	रमेश चन्द	8335713	MTS	वे.ले.का.(अ.श्रे.)डी आर सी फैजाबाद
8	एम.ए.सिद्दीकी	8315925	व. ले. अ.	स्था. ले. प. का.(भं) सी ओ डी छिवकी इलाहाबाद
9	कैलाश चन्द यादव	8325873	व. ले. प.	वे.ले.का.(अ.श्रे.) एस एल आई फतेहगढ़
10	आर एम श्रीवास्तव	8316033	व. ले. प.	वे.ले.का.(अ.श्रे.) सै. चि. द. लखनऊ
11	सरोज जौरा	8313167	व. ले. प.	वे.ले.का.(अ.श्रे.) सै. चि. द. लखनऊ
12	मीनू केशवानी	8319380	व. ले. प.	वे.ले.का.(अ.श्रे.) सै. चि. द. लखनऊ
13	एच आर गौतम	8328371	DEO-C	वे.ले.का.(अ.श्रे.) सै. चि. द. लखनऊ
14	हीरा लाल सिंह	8335670	MTS	मुख्य कार्यालय लखनऊ

2. सक्षम प्राधिकारी के द्वारा यह निर्देशित किया गया है कि संबंधित अधिकारियों/कर्मचारियों द्वारा प्रशिक्षण से छूट या अनुपस्थिति के अनुरोध पर विचार नहीं किया जाएगा।

3. अधिकारियों/कर्मचारियों को अपने कार्यालय से कार्य-मुक्त करके क्षेत्रीय प्रशिक्षण केंद्र, लखनऊ में प्रशिक्षण में भाग लेने के लिए निर्देशित किया जाए।
4. यात्रा भत्ता/दैनिक भत्ता वर्तमान नियम के अनुसार स्वीकार्य है।

— हस्ता —
व. लेखा अधिकारी (सं. एवं प.)

प्रतिलिपि:

- (1) प्रशासन 1अ अनुभाग : सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु ।
- (2) प्रशासन V अनुभाग : सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु ।
- (3) क्षे. प्र. के. लखनऊ : सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु ।
- (4) स्वचलन कक्ष : कार्यालय के वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु ।

21/11/2023
व. लेखा अधिकारी (सं. एवं प.)